

0139637

करनेवाले की तरफ से वापस की जायगी और इसी जगह चिपका दो

SE

जायगी।

नम्बर १ सन् १९९९ लिये।

मलेवार 4322

दस्तावेज 4049

वही

पाई

लिखी

सुशीला देवी

के नाम

दो फीस दफे जयद फीस

जिसकी दस्तावेज वापस किये

के लिये तैयार रहेगा। 28-8-2009

मौद पेश करने पर दस्तावेज वापस किया जायगा।

ज (वसीयत नामा के अलावे) जो किसी रजिस्ट्री ओफिस में दो वर्ष की

से ज्यादा पड़ा रहे और उसका कोई दावेदार नहीं हो तो ऑफिस की रू से

न कर दिया जाना चाहिए।

14800

54

2.50

1.12

485762

सब रजिष्ट्रार

28-8-99

31

सुशीला देवी कागज मीठी

इस पीठ पर लिखा के और दस्तखत किये

मुयम साकरा को दिया

जाय को दिया जाय। दस्तावेज जिसको तफसील दूसरी तरफ लिखी गयी है वसूल पाया।

तोरेर तमिख VV पाने वाले का दस्तखत...

यह फीस जो उक्त दस्तावेज की निसबत ली गई कि जिसकी तफसली इसमें लिखी हुई है, अगर उसकी रजिस्ट्री करने से इन्कार किया जाय या उसकी निसबत कुछ ज्यादा फीस ले ली गई हो लोटा दी जायेगी और अगर किसी कमीशन या मुलाहजे के लिये खर्चा दे दिया गया हो और यह दोनों बातें न की गई हों तो हर-हालत में फरीकेन को इस रसीद के जरिये से अपना रूपया वापस लेना चाहिये।

अगर किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी हो जाने या रजिस्ट्री से इन्कार करने के बाद एक महीने से ज्यादा गुजर जाय और तब उसकी वापसी के लिये दरखास्त दी जाय तो दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी हो जाने या रजिस्ट्री से इन्कार करने के बाद, जैसी हालत हो पहले महीने के बाद से हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिये हर ऐसे दस्तावेज पर पाँच रुपए फीस ली जायगी।

धर शर्त यह है कि किसी भी हालत में ऐसी फीस की रकम एक सौ रुपये से ज्यादा न होगी।

+

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 664 आवेदन सं० 662/2021
 चूँकि श्री Bhuwanishwar Ad Singh + others

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 19 88 से ता० 19 99

तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है अतः

संपत्ति प्रमाणित है उक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Mauza Dhamaat P.S Danapur District Patna Taluqa No. 5247 (224) khata No. 687 plot No. 724 Area 5747.881-</p> <p><u>Boundaries</u> North - Lal Bihari Singh South - Gajendra Kumar Singh East - Raghendra Sharma West - Sukhuy Plot No 724 & Rajendra Singh etc</p>							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारणों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधारण का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:
 (हस्ताक्षर): *[Handwritten Signature]*
 (पदनाम): *[Handwritten Name]*

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *[Handwritten Signature]*
 (पदनाम): *[Handwritten Name]*
 कार्यालय: *[Handwritten Office]*
 तारीख: *21.3.2001*



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

21-3-2001

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधारण दिखाये गये हैं वे और अधिक संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्दिष्ट संपत्तियों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-47 के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारणों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमाणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण-पत्र किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवधारणों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारणों की बूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक.....
 ज्ञाप संख्या..... *1100* दिनांक..... *21-3-2001*
 आवेदक श्री..... *Bhuvaneshwar Pd Singh & Others*
 का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा..... *Chief Manager (CF-1) State Bank of India*
Mansura Complex Dak Bungalow Road Patna 800001
 का उनके पत्र संख्या..... *PB/84* दिनांक..... *M* के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,
[Handwritten Signature]
21-3-2001

अनुचि १४-कारम सं० ५६२



राविस

आदेश पत्रक ता. से तक

जिला से सन् १९

केस का प्रकार दा० वा० वाद सं० ... ३१७ ... सन् ... २०२१

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर का गई कारवाई के बारे में दिखाने की तारीख सहित

आज दिनांक ... ३०.१०.१९... को राजस्व कार्य के निस्तर के प्रसंग में ग्राम ... धाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैंप में श्रीमती सुश्रीका देवी पति श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह व श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह पिता स्व० जगदीप नारायण सिंह ग्राम न्यू हीमा जंक्शन जयकपुर जिला पटना ने निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या ... ६०६४ ... दिनांक ... २०२१ ... प्रति रं इन्होंने श्रीमती सुश्रीका देवी पति स्व० जगदीप नारायण सिंह व श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह पिता स्व० जगदीप नारायण सिंह ग्राम सुपभापुर धाना दानापुर जिला पटना से क्रय किया है।

जमीन विवरण

मोजा	धाना एव धाना न०	तोबी न०	खता न०	हेसरा न०	रकबा
...

हल्का कमेचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन को मांग करें।

अभिलेख दिनांक ... ११.११.१९... को उपस्थित करें।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :-

अंचलाधिकारी

- १) रयती है।
- २) आवेदक के पूर्ण दखल में है।
- ३) जमावन्दी ... के नाम से कायम है।

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten signature and date: 30/10/19



(२)

आदेश को क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर न
गई कारबाही क
बारे में टिप्पणी
तासीख सहित

इतकी अनुशासा नामात्रण हेतु है। केंप में उपस्थित व्यक्तियों ने नामात्रण पर किसी प्रकार को आपत्ति नहीं की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशासा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में नामात्रण को दो जाती है।

यह आदेश अन्तर्गत कार्यविधि के प्रावधानों का उचित लक्ष्य प्राप्त शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अधिकारी को द जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर दंगे।

लेखापति

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy

विश्वनाथ सिंह
Head Clerk

under Sec. 76 Act of 1877

Handwritten signature and notes on the right margin.

7/1/2019



(२)

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर कोई
गई कारवाही के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

इनकी अनुसंधान नामात्रण हेतु है। कंप में उपस्थित व्यक्तियों के नामात्रण पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुसंधान से सहमत होकर आदेशक पथ में नामात्रण को दी जाती है।

यस आदेशक प्रत्येक प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर दो प्रति राष्ट्रव्यक्ति को दे जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पथ में वापस कर दोगे।

लेखापति

अंचल अधिकारी दानापुर

[Handwritten signature]

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
[Signature]
Head Clerk
under Sec. 76 of Act 1873

[Handwritten note]